

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राकेश कुमार,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सभी अधीक्षण अभियंता,

भवन निर्माण विभाग, बिहार।

सभी कार्यपालक अभियंता,

भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- स्कीमों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के स्तर से प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग:- सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-8423/वि0
दिनांक-22.09.2023 एवं पत्रांक-8424/वि0 दिनांक-22.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि संलग्न पत्र में वर्णित तथ्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 8380 (अ)म

पटना, दिनांक-...13/10/23

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

आज्ञा

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राकेश कुमार,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सभी अधीक्षण अभियंता,

भवन निर्माण विभाग, बिहार।

सभी कार्यपालक अभियंता,

भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- स्कीमों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के स्तर से प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग:- सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-8423/वि0
दिनांक-22.09.2023 एवं पत्रांक-8424/वि0 दिनांक-22.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि संलग्न पत्र में वर्णित तथ्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0-यथोक्त।

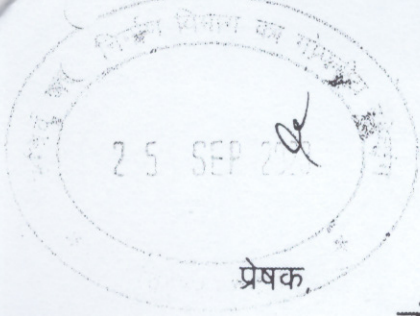
विश्वासभाजन

(राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

राकेश कुमार

अ.प्र.



पत्रांक-एम०४-१५/२०२३ ८४२३ /वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

२८६५२
२८/९/२३

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।



पटना, दिनांक- २२/०९/२०२३

विषय:- स्कीमों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के स्तर से प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्कीमों की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन के संबंध में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-३७५८ दिनांक ३१.०५.२०१७, ८२३६ दिनांक १७.१०.२०१७, ४४४३ दिनांक १४.०६.२०१८, ६४३९ दिनांक २८.०८.२०१८ एवं वित्त विभागीय पत्र संख्या-२६२९/वि०, दिनांक १४.०३.२०२३ निर्गत है।

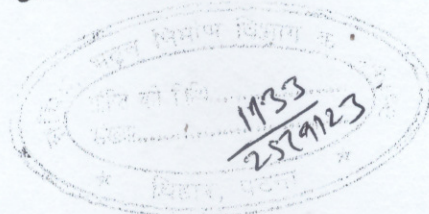
विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में मंत्रिपरिषद् से योजनाओं की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की गई है एवं वर्तमान में भी इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति का तात्पर्य योजना की वास्तविक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है। यदि किसी योजना की मंत्रिपरिषद् से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की गई हो तो उस परिस्थिति में उस योजना के कार्यान्वयन के पूर्व विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर लागत के अनुरूप वित्त विभागीय संकल्प संख्या-३७५८/वि० दिनांक ३१.०५.२०१७ एवं उपरोक्त वर्णित वित्त विभागीय संकल्प एवं दिशा-निर्देश के आलोक में सक्षम प्राधिकार के स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

१६६५
०६/१०/२०२३

५.१८
५.१८
५/१०

५.१८
५.१८
५/१०

अभियंता प्रमुख
मकान निर्माण विभाग
११३३
३१/१०/२३



विश्वासभाजन

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)

२२/९/२०२३